

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2013/1220

दिनांक:- 15/10/13

आदेश

विद्यमान प्रावधानों के अनुसार मण्डल द्वारा नई योजना प्रारम्भ करने पर पंजीकरण आवेदन पत्र में आवेदक की गलती से किसी भी प्रकार की कमी के कारण मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर आवेदक की जमा राशि में से प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध 5 प्रतिशत राशि की कटौती करते हुए शेष राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते अथवा आवेदक के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती हैं। यह प्रावधान हाल ही लागू की गई नई व्यवस्था में समाहित होने से दिनांक 13.09.2013 से विलोपित किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

आज्ञा से,

1
(कर्णसिंह गोठवाल)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय,/पी.एण्ड.एम/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करवाये एवं सभी उप आवासन आयुक्तगण एवं आवासीय अभियन्तागण को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

15/10/13